सभी राज्यों को 1992–93 के दौरान किया गया एस के ओ का आवंटन 1991–92 के दौरान के किए गये स्तर पर रखा गया है । हाल ही में सरकार ने एस के ओ के लिए निजी एजेंसियों उद्यमियों द्वारा बाजार कीमतों पर उनके निजी वितरण नेटवर्क के माध्यम से आयात और बिक्री करने के लिए समानान्तर विपणन प्रणाली की अनुमति दी है ।

2799. *[Transferred to 23rd March* 1993]

गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी

2800. श्री रामसिंह राठवा :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल कंपनियों और राज्य सरकारों ने गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार जांच की है ;

(ख) इन जांचों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिलावार कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस अपराध के कारण पिछले वर्ष मिट्टी के तेल की कितनी डीलरशीप निरस्त की गई है ;

(ङ.) क्या यह सच है कि कंपनियों के अधिकारी अपनी सुविधा के लिए कालाबाजारी के मामलों में डीलरों को बचा लेते हैं ; और

(च) इस संबंध में मंत्रालय किस प्रक्रिया को अपनाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) 89–90, 90–91 और 91–92 के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश में किए गए निरीक्षणों की संख्या संलग्न विवरण में बताई गई है । [नीचे देखिए]

(ख) जिलावार विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

(घ) कोई नहीं ।

(ङ.) जी, नहीं ।

(च) गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध तेल कंपनियों द्वारा प्रतिपादित तथा सरकार द्वारा अनुमोदित विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

विवरण

गत तीन वर्षों में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी पर नियंत्रण करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा गुजरात और उत्तर प्रदेश में किए गए निरीक्षणों की संख्या ।

तेल कंपनी का नाम	गुजरात	उत्तर प्रदेश
आई०ओ०सी०	3042	2807
एच०पी०सी०एल	1058	1031
बी०पी०सी०एल०	562	1196
आई०बी०पी०	482	626
योग	5144	5660